राअं:एसएलबीसी:विशेष बैठक: 2014-15/ दिनांक 31 मार्च 2015

- **<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के सभी सदस्य बैंक तथा अन्य हितग्राहियों को परिचालित</u>**

महोदय,

<u>विषय: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की विशेष बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) एवं कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report).</u>

30 मार्च' 2015 को संपन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की विशेष बैठक के कार्यवृत्त एवं कार्रवाई रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित कर रहे हैं.

समस्त सदस्य बैंकों एवं हितधारकों से निवेदन है कि कार्यवृत्त में निहित कार्यबिन्दुओं पर समयबद्ध कार्यवाही किये जाने का श्रम करावें.

भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं
महाप्रबंधक

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की दिनांक 30.03.2015 को आयोजित विशेष बैठक के कार्यवृत्त</u>

फरवरी / मार्च 2015 में हुई बेमौसम भारी वर्षा व ओलावृष्टि से राज्य में फसलों को हुई क्षति के आंकलन व प्रभावित कृषकों को राहत के सम्बन्ध में दिनांक 30.03.15 को विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री वी.जी.शेकर, महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एच.एस.खितौलिया, महाप्रबन्धक (आर.पी.सी.डी.), भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एम.आर.गुलगुले, महाप्रबन्धक नाबार्ड, श्री बी.एस.जाट, संयुक्त सचिव, आयोजना (संस्थागत वित्त), डॉ. एस.पी.शर्मा, निदेशक, SIAM, कृषि, श्री रामोतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक आयोजना (संस्थागत वित्त) तथा विभिन्न बैंकों के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। (संलग्न सूची के अनुसार)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. एवं महाप्रबन्धक श्री आर.के.गुप्ता ने एस.एल.बी.सी की विशेष बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों / सदस्यों का स्वागत किया तथा सदन को उक्त बैठक के आयोजन के उद्देश्य तथा महत्ता के बारे में अवगत करवाया ।

इसके पश्चात **सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी.** द्वारा एजेण्डा प्रस्तुतीकरण व उस पर चर्चा की गई। सदन को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किये जाने पर राहत उपायों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 25.03.2015 को जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के मुख्य बिन्दुओं से अवगत करवाया गया। विभिन्न बिन्दुओं पर की गई चर्चा का विवरण निम्नानुसार है:-

पैरा क्रमांक	**आर.बी.आई पत्रांक सं. FIDD.No.FSD.BC.52/05.10.001/2014 -15 दिनांक 25.03.2015**	**चर्चा का सार / विवरण**
5.5	प्राकृतिक आपदा सम्बन्धित अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में।	**संयुक्त सचिव, आयोजना (संस्थागत वित्त)** द्वारा सदन को राज्य सरकार में इस बावत चल रही कार्यवाही तथा सम्भवतया दो या तीन दिवस में प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। **महाप्रबन्धक (आर.पी.सी.डी.), भारतीय रिजर्व बैंक** ने इस सम्बन्ध में DCC Level पर भी बैठक के शीघ्र आयोजन किये जाने की आवश्यकता दर्शायी।

5.6	प्रभावित क्षेत्रों (गॉव / तालुका / मंडल / ब्लॉक इत्यादि) जहॉ राज्य सरकार द्वारा 50% या उससे अधिक खराबे के बारे में घोषित किया गया है, उस क्षेत्र में प्रदत्त कृषि ऋणों के पुर्ननिर्धारण के बारे में।	अधिसूचित क्षेत्रों में तदानुसार बैंकों द्वारा कृषि ऋणों का पुर्ननिर्धारण किया जाये। **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** द्वारा सदस्य बैंकों से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने सम्बन्धित सूचनायें एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही उन्होने बताया कि डाटा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में एस.एल.बी.सी. स्तर से एक समुचित प्रारूप तैयार कर बैंकों को उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
6.	बकाया ऋणों के पुर्नगठन / पुर्ननिर्धारण के बारे में	
6.2	**अल्पकालीन फसल उत्पादन ऋणों के बारे में।**	i. सभी प्रभावित कृषक जिनका कृषि ऋण खाता Date of occurrence of Natural Calamities (31.03.2015) को अतिदेय नहीं है, उन सभी कृषकों के अल्पकालीन ऋण खाते (के.सी.सी.) Restructuring हेतु पात्र रहेंगें। ii. प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त अल्पकालीन ऋण (के.सी.सी.) जो प्राकृतिक आपदा की घटना के समय बकाया (मूलधन व ब्याज) हों, उन्हे Restructure कर मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित करने हेतु पात्र समझा जाये।
6.3	पुर्नगठित ऋणों की पुर्नभुगतान अवधि आपदा की गंभीरता तथा पुर्नरावृत्ति (Recurrence) को देखते हुये निर्धारित की जा सकती है।	**महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक** ने सदन को अति गम्भीरता व पुर्नरावृत्ति की स्थिति में अधिकतम 10 साल तक पुर्नभुगतान अवधि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया।
6.4	पुर्नगठित ऋणों की स्थगन अवधि के बारे में।	चूंकि चालू वर्ष के दौरान राज्य में आपदा की पुर्नरावृत्ति (Recurrence) नही देखी गई है, अतः

		बैठक में निर्णय लिया गया कि परिवर्तित (पुर्नगठित) ऋण की पुर्नभुगतान अवधि एक साल की ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) देते हुये 3 से 5 साल निर्धारित की जाये तथा उक्त पुर्नगठित ऋण पर कोई अतिरिक्त Collateral Security नही ली जानी चाहिये।
6.5 से 6.7	**कृषि निवेश ऋण (Long Term Investment Credit)** बकाया ऋण की किश्ते आपदा की प्रकृति तथा ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता को देखते हुये पुर्नगठित की जानी है यथा अ) जहॉ केवल उस वर्ष की फसल खराब हुई है तथा Productive Assets खराब नही हुई है। आ) जहॉ Productive Assets आंशिक तथा पूर्ण रूप से नष्ट हुई है तथा ऋणी को नये ऋण की आवश्यकता है।	बैठक में निर्णय लिया गया कि, चूंकि बेमौसम वर्षा का असर केवल रबी फसल पर हुआ है, अतः कृषि निवेश ऋण के मामले में चालू वर्ष में देय मांग व ब्याज, ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता को देखते हुये ऋण अवधि को 1 साल बढाते हुये पुर्नगठित किया जाये। **महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ऋण खाते में अतिदेय / Default की स्थिति में ऋण खाता पुर्नगठन हेतु पात्र नही होगा। बैंक इस बाबत प्रभावित ऋणी कृषक की स्थिति को देखते हुये अपने स्तर पर Case to Case basis पर निर्णय ले सकते है।
6.10	**आस्ति वर्गीकरण (Asset Classification)** अल्पावधि ऋणों व दीर्घावधि ऋणों का पुर्नगठित भाग को चालू मॉग समझा जाकर, **एन.पी.ए. में वर्गीकृत नही किया जाये**। इन नये ऋणों का आस्ति वर्गीकरण तदानुसार संशोधित नियमों एवं शर्तो के अनुसार तय किया जाये।	**महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक** ने सदन को पुर्नगठित ऋण खातों पर अधिक प्रावधान किये जाने के बारे में भी अवगत करवाया गया।

6.11	प्राकृतिक आपदा की घटना के समय पुर्नगठित खातों में आस्ति वर्गीकरण का लाभ तभी उपलब्ध रहेगा जब पुर्नगठन प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महिनों के दौरान किया जाये।	सभी बैंकों से पुर्नगठन की प्रक्रिया यथासमय पूर्ण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
6.13	फसल बीमा दावे के उपयोग के बारे में।	पुर्नगठन की स्थिति में, जहॉ ऋणी को नया ऋण प्रदान किया गया है, ऐसे मामलों में बीमा कम्पनियों से प्राप्त फसल बीमा दावे की राशि परिवर्तित (पुर्नगठित) खाते में समायोजित की जाये। फसल बीमा के बारे में **महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक** द्वारा सदन के समक्ष अपनी राय रखी कि बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा करते समय बैंकों से डाटा नही मंगवाकर सीधे राजस्व विभाग से प्राप्त करना चाहिये। निदेशक, SIAM, राज्य सरकार ने सूचित किया कि यह फसल बीमा स्कीम न होकर ऋण बीमा स्कीम है। अतः यह डाटा बैंकों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना चाहिये। **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** ने इस बाबत विस्तृत Clarification उपलब्ध करवाये जाने हेतु निदेशक, SIAM से अनुरोध किया।
7	नया ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में।	जहॉ फसल उत्पादन के साथ-साथ उपभोग (Consumption) ऋण भी परिवर्तित (पुर्नगठित)किया गया है, ऐसे सभी मामलों में कृषकों को आगामी फसल उत्पादन हेतु स्केल ऑफ फायनेंस के आधार पर नया ऋण प्रदान करने के साथ-साथ रू. 10,000/- तक का उपभोग ऋण भी प्रदान किये जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

<u>फसल मौसम (Crop Season)</u>

इस बाबत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा अपनी 108वीं मिटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार राज्य हेतु Crop Season निर्धारित करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी दी गयी जो कि निम्नानुसार है:

खरीफ हेतु फसल मौसम - अप्रेल से दिसम्बर
रबी हेतु फसल मौसम - अक्टूबर से अप्रेल

सदन को एस.एल.बी.सी. की 108वीं बैठक में इंगित कृषि ऋण पुर्नभुगतान अवधि "खरीफ फसल हेतु 31 मार्च व रबी फसल हेतु 30 जून रखी जा सकती है" के बारे में जानकारी दी गई।

साथ ही सदन को अवगत करवाया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक RBI/2012-13/162 RPCD.FSD.BC.No.23/05.05.09/2012-13 दिनांक 07.08.2012 के अनुसार ""जिन फसल के लिए ऋण प्रदान किया गया है, उन फसलों के लिए प्रत्याशित कटाई (Anticipated Harvesting) और विपणन (Marketing) अवधि में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर बैंकों द्वारा पुनर्भुगतान की अवधि तय की जा सकती है."

महाप्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. द्वारा एस.एल.बी.सी. से कृषि ऋण हेतु पुर्नभुगतान अवधि के बारे में स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। इस पर **उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा** द्वारा अवगत करवाया गया कि आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में प्रत्येक फसल हेतु Crop Season राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा 108वीं बैठक में इंगित पुर्नभुगतान अवधि (उपरोक्तानुसार) से भी अवगत करवाया। उन्होने अवगत करवाया कि "जिन फसल के लिए ऋण प्रदान किया गया है, उन फसलों के लिए प्रत्याशित कटाई (Anticipated Harvesting) और विपणन (Marketing) अवधि में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर बैंकों द्वारा पुनर्भुगतान की अवधि तय की जा सकती है." इस बारे में उन्होने आर.बी.आई. द्वारा जारी उपरोक्त वर्णित पत्रांक (RBI/2012-13/162 RPCD.FSD.BC.No.23/05.05.09/2012-13 दिनांक 07.08.2012) का सन्दर्भ दिया। चर्चा में भाग लेते हुये **महाप्रबन्धक, (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक** ने बताया कि कृषि ऋणों की पुर्नभुगतान तिथि निर्धारित करते समय बैंक, आर.बी.आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लेंवें।

महाप्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. द्वारा विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के आयोजन को और पहले करने के बारे में टिप्पणी की गयी। **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** द्वारा अवगत करवाया कि प्रभावित कृषकों को राहत के उद्देश्य से सभी सदस्य बैंकों / अग्रणी जिला प्रबन्धकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु यथासमय (दिनांक 16.03.2015 को) निर्देशित कर दिया गया था, साथ ही मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार से इस मामले में आवश्यक अधिसूचना शीघ्र जारी करवाने व बेमौसम वर्षा से हुये खराबे

से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 19.03.2015 को अनुरोध किया गया था।

महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक ने चर्चा में भाग लेते हुये बताया कि प्रभावित किसानों को आवश्यक राहत हेतु एस.एल.बी.सी. द्वारा यथासमय समुचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। **संयुक्त सचिव, आयोजना (संस्थागत वित्त), राज्य सरकार** ने इस बाबत एस.एल.बी.सी. स्तर से गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।

<u>प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय - वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बावत।</u>

प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु प्रदत्त ऋण के मामले जहॉ अल्पकालीन ऋण मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया है, परिवर्तित राशि (Restructured Amount) जो कि फसल उत्पादन ऋण से सम्बन्धित है उस पर बैंकों को 2% की दर से प्रथम वर्ष हेतु ब्याज अनुदान (Interest Subvention) उपलब्ध रहेगा। कृषक को उक्त ऋण एक साल हेतु 7% की दर से उपलब्ध रहेगा तदुपरांत आगामी वर्षों में सामान्य ब्याज दर लागू रहेगी।

सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि फसल ऋण के पुर्नगठन के मामलों में कृषक को Prompt Payment पर मिलने वाले 3% ब्याज अनुदान का लाभ उपलब्ध नही रहेगा तथा इस बारे में प्रभावित किसानों को जानकारी देने पर जोर दिया।

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऐसे मामलों में कृषकों को समुचित जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के पश्चात एस.एल.बी.सी. स्तर से जागरूकता हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगें।

<u>फसल बीमा</u>

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि बीमा कम्पनियों को क्लेम के शीघ्र निपटान हेतु पाबन्द किया जाये।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सदस्य बैंकों द्वारा प्राप्त सुझावों / फीडबैक से सदन को अवगत करवाया तथा उपस्थित सदस्यों से इस बाबत अपने सुझावों से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा अनुरोध किया गया कि पुर्नगठित ऋण के मामलों में नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुर्नवित्त उपलब्ध करवाया जाये।

महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नये ऋण तथा पुर्नगठित ऋण हेतु पुर्नवित्त उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है तथा इस बावत नाबार्ड द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

प्रसंगवश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों के ऋण खातों के मामलों में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुये अपनी Bank Policy Guidelines के अनुसार ऋण खातों का Restructure / Reschedulement इत्यादि कर सकता है।

उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा राज्य सरकार एवं सभी बैंकों से प्रभावित कृषकों को राहत पहुचानें का आव्हान किया गया।

कार्यवाही बिन्दु कार्यवृत्त के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।